न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–63/2013–14

सुधीर कुमार सिंह वगैरह बनाम उसमान गनी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
02/07/18	**आदेश** आवेदकगण के द्वारा यह वाद फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा–नोहसा, थाना नं0 38, खाता नं0 152, खेसरा सं0 294 के लिए विपक्षीगण की कायम जमाबंदी सं0 6536/2, 4143/1, 4141/1 एवं 4149 को रद्द करने हेतु लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है **प्रथम पक्ष** 1. सुधीर कुमार सिंह 2. उपेन्द्र कुमार सिंह, दोनों पिता चन्देश्वर सिंह, ग्राम–रानीपुर, पो0 और थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** 1. उसमान गन्नी, पिता स्व0 मो0 इब्राहिम, पता–शिखरहथ्था खुर्द, पो0 और थाना–शिखरहथ्था, जिला–भोजपुर, वर्तमान मोहल्ला–हारूल नगर–2, रोड नं0 16, थाना और पो0–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना 2. जीनत आरा, पति स्व0 शैयद रहमान, पता–भिखनपुर, गुमटी नं0 3, पो0–(हेड) भागलपुर, थाना–इशाचक, जिला–भागलपुर 3. चन्द्र कान्ती शर्मा, पुत्री दिनेश प्रसाद सिंह, ग्राम और पो0–पैनाल, थाना–बिहटा, जिला–पटना 4. भोला शर्मा, पिता स्व0 छोटे लाल प्रसाद सिंह, पता–मौर्या बिहार कॉलोनी, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना 5. श्रीमती रिंकु कुमारी, पति सौरव कुमार, पता– मौर्या बिहार कॉलोनी, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना 6. मोहन सिंह, पिता स्व0 राम खुशी सिंह, पता–बोचा चक, थाना और पो0–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना 7. विजय कुमार सिंह, पिता स्व0 राम खुशी सिंह, पता–बोचाचक, पो0 और थाना फुलवारीशरीफ, जिला–पटना। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस निर्गत की गयी। नोटिस निर्गत किये जाने के पश्चात विपक्षी सं0 1 एवं 04 उपस्थित हुए। निबंधित नोटिस वापस हो जाने कारण शेष विपक्षियों की उपस्थिति के लिए दिनांक 18.04.2015 के हिन्दुस्तान समाचार पत्र में सूचना	

प्रकाशित करायी गयी। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद विपक्षी सं0 3 एवं 5 उपस्थित हुए। विपक्षी सं0 1 की तरफ से दिनांक 03.08.2016 को तथा विपक्षी सं0 3 से 5 की तरफ से दिनांक 12.04.2017 को प्रतिउत्तर दायर किया गया।

आवेदकगण का कहना है कि

(1) मौजा नोहसा थाना नं0 38, खाता नं0 152 खेसरा नं0 294 रकबा 26डी0 मूलरूप से हरिहर महतो की सम्पति थी। हरिहर महतो अपने पीछे दो पुत्र राम खुशी सिंह एवं शिव कुमार सिंह को छोड़ कर मर गये। शिव कुमार सिंह, निःसंतान स्थिति में अपने पीछे अपने पत्नी मानकी कुंवर को छोड़कर कर स्वर्ग सिधार गये। राम खुशी सिंह के दो पुत्र मोहन सिंह एवं विजय कुमार सिंह हुए। मानकी कुंवर ने अपने हिस्से की सभी सम्पति मीना रतन, पति मोहन सिंह को दान कर दी।

(2) दिनांक 10.01.1989 को कुमारी मीना रतन, मोहन सिंह एवं विजय कुमार सिंह के बीच पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ विवादित खेसरा का 1.3डी0 मोहन सिंह को तथा 13डी0 विजय कुमार सिंह को मिला।

(3) बंटवारा के आधार पर दोनों भाई मोहन सिंह एवं विजय कुमार सिंह के नाम से अलग–अलग दाखिल खारिज हुआ। विजय कुमार सिंह के द्वारा विवादित भूखण्ड 13डी0 की चहारदीवारी करायी गयी।

(4) विजय कुमार सिंह के द्वारा अपने हिस्से की विवादित खेसरा की 13डी0 भूमि की बिक्री आवेदकगण को दिनांक 12.02.2013 के निबंधित केवाला से की गयी तथा दखल दिया गया।

(5) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर टयूबवेल लगवाया गया तथा पूर्व से निर्मित चहारदीवारी को ऊँचा कराया गया तब विपक्षी सं0 1 एवं 2 के द्वारा विरोध करते हुए, बताया गया कि उन्होंने प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी सं0 3, 4 एवं 5से खरीदी है। आवेदकगण के द्वारा जानकारी लेने पर यह सूचना मिली कि मोहन सिंह ने विजय कुमार सिंह के हिस्से की जमीन को विपक्षी सं0 3, 4 एवं5 को बेच दी है, तथा विपक्षी सं0 3, 4 एवं 5 के द्वारा पुनः उक्त भूखण्ड विपक्षी सं0 1 एवं 2 को बेच दी गयी।

(6) भोला शर्मा (विपक्षी सं0 4) के द्वारा दाखिल खारिज हेतु पूर्व में आवेदन दिया गया था, परन्तु दाखिल खारिज वाद सं0 6536/2 वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत भोला शर्मा का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। इस तथ्य को छुपा कर पुनः दाखिल खारिज वाद 3618/2 वर्ष 2011–12 एवं 871/2 वर्ष 2012–13 से विपक्षी सं0 1 एवं 2 के द्वारा अपने नाम से जमाबंदी कायम करा ली गयी।

(7) आवेदकगण के द्वारा दिनांक 12.02.2013 को खरीदगी के पश्चात दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2}{2}$ वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व से विपक्षीगण की जमाबंदी कायम है।

(8) विपक्षीगण के नाम से किया गया केवाला अवैध है, क्योंकि उनके बिक्रेताओं को प्रश्नगत भूखण्ड बिक्री का अधिकार ही नहीं था। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षीगण का दखल–कब्जा भी नहीं है। विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदियां रद्द करने योग्य है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 10.01.1989 का खानगी बंटवारानामा

(2) दिनांक 01.09.2009 का मोहन सिंह का शपथ–पत्र, जिसमें अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड 13डी0 विजय सिंह के हिस्से में बतायी गयी है।

(3) विजय सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 2012–13की लगान रसीद

(4) दिनांक 12.02.2013 का केवाला जो विजय कुमार सिंह के द्वारा दिये गये मोख्तारनामा के आधार पर प्रश्नगत खेसरा 294 रकवा 12.2109डी0 के लिए आवेदकगण को लिखा गया।

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2}{2}$ वर्ष 2013–14 का आदेश

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{6536}{2}$ वर्ष 2010–11 का आदेश

(7) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{6532}{2}$ वर्ष 2010–11 का आदेश

(8) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{6548}{2}$ वर्ष 2010–11 का आदेश

विपक्षी सं0 1 का कहना है कि

(1) विवादित भूखण्ड के खतियानी रैयत हरिहर सिंह थे। हरिहर सिंह अपने पीछे दो पुत्र शिव नारायण सिंह एवं राम खुशी सिंह को छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए। राम खुशी सिंह के दो पुत्र मोहन सिंह एवं विजय सिंह हुए। राम खुशी सिंह की मृत्यु के उपरान्त मोहन सिंह एवं विजय सिंह के बीच आपसी बंटवारा हुआ, परन्तु जमाबंदी सं0 3159/1 राम खुशी सिंह के नाम से ही चलती रही। वर्ष 2010 तक लगान रसीद राम खुशी सिंह के नाम से ही निर्गत होती रही।

(2) मोहन सिंह के द्वारा विवादित भूखण्ड के अपने हिस्से से $1\frac{1}{2}$ कठ्ठा की बिक्री दिनांक 08.01.2010 के केवाला से श्रीमती चन्द्रकान्ति शर्मा को की गयी तथा उसी दिन $1\frac{1}{2}$ कठ्ठा की बिक्री श्रीमती रिंकु कुमारी को की गयी। खरीदगी के पश्चात चन्द्रकान्ति शर्मा के नाम से जमाबंदी सं0 4143 तथा रिंकु कुमारी के नाम से जमाबंदी सं0 4142 कायम की गयी।

(3) चन्द्रकान्ति शर्मा एवं रिंकु कुमारी ने संयुक्त रूप से दिनांक 08.11.2010 के केवाला से कुल 03(तीन) कठ्ठा भूखण्ड की बिक्री विपक्षी सं0 1 को कर दी। खरीदगी के पश्चात दाखिल खारिज वाद सं0 3618/2 वर्ष 2011–12 के द्वारा उसमान गनी (विपक्षी सं0 1) के नाम से जमाबंदी सं0 4185/1 कायम की गयी।

(4) विपक्षी सं0 1 के द्वारा खरीदरी भूमि पर चहारदीवारी तथा सम्पर्क सड़क का निमार्ण कराया गया।

(5) विजय कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 19.07.2010 के केवाला से खेसरा सं0 292 के सम्पूर्ण रकवा की बिक्री विपक्षी सं0 3 से 5 के साथ कर दी गयी। पुनः विजय कुमार सिंह के द्वारा उसी भूखण्ड का मोख्तारनामा दिनांक 23.07.2010 को मुन्ना कुमार को दे दिया गया। मुन्ना कुमार के द्वारा मोख्तारनामा के आधार पर दिनांक 12.02.2013 को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री आवेदक सं0 1 एवं 2 को कर दी गयी।

(6) अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा आवेदकगण का दाखिल खारिज का आवेदन निरस्त किया जाना पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है। आवेदकगण के द्वारा लाया गया यह वाद खारिज करने योग्य है।

विपक्षी सं0 1 के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) सर्वे खतियान की अपठनीय प्रति

(2) राम खुशी सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 2009–10 की लगान रसीद

(3) दिनांक 08.11.2010 का केवाला

(4) उसमान गनी के नाम से निर्गत वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2017–18 की लगान रसीद

(5) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{3618}{2}$ वर्ष 2011–12 का आदेश

विपक्षी सं0 3 से 5 के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में वही बाते दुहरायी गयी है, जो विपक्षी सं0 1 के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कही गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(1) यह मामला पारिवारिक सम्पति में हिस्से के बंटवारा का है, जिसका निर्णय सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

(2) विपक्षीगण की जमाबंदियाँ निबंधित केवालों के आधार पर कायम है, अतः उन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता।

(3) आवेदकगण यदि उन केवालों को अवैध मानते है तो उन्हें रद्द करने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/7/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

3/7/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना